

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 05, 2020

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010

इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.2(30)न्याय/82 दिनांक 21.11.1998 एवं क्रमांक प.1(5)न्याय/2013 दिनांक 12.05.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों के मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपर जिला न्यायालय स्तर के जयपुर में सृजित एवं स्थापित न्यायालयों का नाम एवं अधिकारिता क्षेत्र निम्नानुसार परिवर्तित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का पूर्व नाम	न्यायालय का परिवर्तित नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3	4	
1.	अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण, संख्या 1, जयपुर महानगर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर-I।	जयपुर	जयपुर राजस्व जिला (न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-II के अधीन आने वाले क्षेत्र को छोड़कर)
2.	अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण, संख्या 2, जयपुर महानगर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर-II।	जयपुर	न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-II के अधीन आने वाला क्षेत्र

राज्यपाल के आदेश से,

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव